राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–609/2025

मदन लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री धीरज गुप्ता व श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो कि पटवारी के पद पर कार्यरत है, का स्थानांतरण विधाणी/सांगानेर से रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक में किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक से विधाणी/सांगानेर में किया गया है। इस अपील में पूर्व में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2025 के द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पारित विवादग्रस्त आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे और अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने के आदेश दिये गये थे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थान पर पदस्थापन आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा किया गया था। निजी प्रत्यर्थी, जिन्हें पूर्व में आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया था, उनका स्थानांतरण आदेश

दिनांक 04.01.2025 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा से कलेक्ट्रेट, जयपुर से पटवार मण्डल, रोजड़ी, फुलेरा मु.सांभरलेक में किया गया था, लेकिन 10 दिवस की अवधि में ही आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक से विधाणी/सांगानेर में किया गया है, और अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर विधाणी/सांगानेर से रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 10 दिवस की अवधि में ही निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के गरज से आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी को आदेश दिनांक 04.01.2025 के द्वारा जो आदेशों की प्रतिक्षा में रोजड़ी, फुलेरा, मु. सांभरलेक स्थानांतरित किया गया है, उस आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने रोजड़ी, फुलेरा, मु. सांभरलेक में कार्यग्रहण नहीं किया और निजी प्रत्यर्थी को वर्तमान में आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक से विधाणी/सांगानेर पदस्थापित किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण पूर्णतः प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण स्वयं की प्रार्थना पर नहीं किया गया है, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण पूर्व में आदेश दिनांक 04.01.2025 के द्वारा आदेशों की प्रतिक्षा से रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक में किया गया था, जहां पर निजी प्रत्यर्थी ने कार्यग्रहण नहीं किया और बाद में उनका स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक से विधाणी/सांगानेर में किया गया है। अपीलार्थी विधाणी/सांगानेर मे कार्यरत है, जिनका स्थानांतरण इसी आलोच्य आदेश से विधाणी/सांगानेर से रोजड़ी/फुलेरा मु. सांभरलेक में निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण उनके कार्यग्रहण करने के पश्चात नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण उनको स्थानांतरणाधीन होना दर्शाते हुए किया गया है। वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य भी

प्रकट हुआ हैं कि इस अधिकरण के द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 06.02.2025 पारित होने के पश्चात अपीलार्थी भी विधाणी, सांगानेर में कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी को भी आलोच्य आदेश से विधाणी/सांगानेर में पदस्थापित किया गया है, जहां पर उन्होंने दिनांक 17.01.2025 को कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में एक ही स्थान पर दो व्यक्ति कार्यरत हो गये हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी दोनों के पदस्थापन के संबंध में पुनः विचार कर नये सिरे से प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत पदस्थापन आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है, चूंकि पूर्व में दोनों ही कर्मचारी के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में आदेश दिनांक 15.01.2025 जारी किया जा चुका है। ऐसे में स्थानांतरण पर प्रतिबंध नये पदस्थापन के संबंध में लागू नहीं होगा। प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से आदेश पारित करने के लिए 15 दिवस का समय प्रदान किया जाता है।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष